2599

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 26, 2012 (SRVN. 4, 1934 SAKA)

भाग-Ш

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 जुलाई, 2012

संख्या कांoआo 60/केoआo 60/1952/घांo 3 तथा 5/2012.—चूंकि, राज्य सरकार की राय है कि लोक महत्व अर्थात् 16 जुलाई, 2012 को लघु सचिवालय, रेवाड़ी में तथा 22 जुलाई, 2012 को गांव आसलवास, रेवाड़ी में घटनाओं के लिए अग्रेषित परिस्थितियों के मामले की जांच करने तथा आगे कार्रवाई, यदि कोई हो, ऐसे उपचारी उपायों सहित जो उचित समझे की सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है, तांकि ऐसी घटनाएँ दोबारा न घटें;

और, चूंकि, उक्त हिंसक घटनाओं के विभिन्न पहलुओं पर जांच करने के लिए विभिन्न लोक समुदायों की मांग हैं:

इसलिए, अब, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री इकबाल सिंह (सेवानिवृत्त) को जांच आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं:

आगे, हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मामले की जाने वाली जांच के स्वरूप तथा अन्य परिस्थितियों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (2), (3), (4) तथा (5) के उपबंध आयोग को लागू होंगे तथा जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (2), (3), (4) तथा (5) के उपबंध लागू होंगे।

आयोग राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर इसकी जांच पूरी करेगा तथा राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

जांच आयोग मिर्चपुर जांच के साथ साथ वर्तमान जांच भी करेगा।

मिर्चपुर जांच आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपनी हैसियत में माननीय न्यायाधीश इकबाल सिंह (सेवानिवृत्त) को उपलब्ध सभी सुविधाएं इस जांच आयोग के अध्यक्ष के रूप में उपयोग करने के लिए निरन्तर उपलब्ध रहेंगी।

> समीर माथुर, . अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ़।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 26th July, 2012

No. S.O. 60/C.A. 60/1952/S. 3 and 5/2012.—Whereas, the State Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, the circumstances leading to violence in the Mini Secretariat, Rewari on 16th July, 2012 and in village Asalwas, Rewari on 22nd July, 2012 and to recommend further action, if any, alongwith such remedial measures as deemed appropriate so that such incidents do not occur again;

And, whereas, there is demand of different sections of the public for an inquiry into various aspects of the said incident of violence;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Governor of Haryana hereby appoints Mr. Justice Iqbal Singh (Retd.) Judge of the Hon'ble Punjab and Haryana High Court as the Commission of Inquiry.

Further, the Governor of Haryana is of the opinion that having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 5 of the said Act should be made applicable to the Commission and the Governor of Haryana in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952, hereby directs that the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 5 of the said section shall apply to the Commission.

The Commission shall complete its inquiry and submit its report to the State Government within a period of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

The Commission of Inquiry shall conduct the present inquiry concurrently with the Mirchpur Inquiry.

All facilities provided to Justice Iqbal Singh (Retd.) in his capacity as Chairman of the Mirchpur Inquiry Commission, shall continue to be made available to him for use as Chairman of this Commission of Inquiry.

SAMIR MATHUR,

Additional Chief Secretary to Government Haryana, Home Department, Chandigarh.

50162-L.R.-H.G.P., Chd.